

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर महाधिवक्ता
उत्तराखण्ड राज्य
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली।

पत्रांक: 1221 / एल0वी0ए0-2023

दिनांक: 30 जून, 2023

विषय: माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या-632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 व 18.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 18.04.2023 के क्रम में अतिरिक्त प्रत्युत्तर तैयार करने हेतु प्रकरण में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1- सोनाली नदी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुडकी ने कार्यालय पत्र संख्या-227/उखगनरु/रा0अनु0/एन0जी0टी0 दिनांक 12.04.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि 13 अतिक्रमणकारियों जिनके द्वारा सोनाली नदी के किनारे फसल बोई गयी थी के विरुद्ध कार्यवाही कर दिनांक 11.04.2023 को विभाग द्वारा अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया है। रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक-1)

2- एस0टी0पी0 निर्माण एवं सोनाली नदी में गिरने वाले नालो को टैप करने के संबंध में परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार ने कार्यालय पत्र संख्या-832/लेखा-1/36 दिनांक 08.05.2023 द्वारा अवगत कराया है कि अनुउपचारित सीवरेज को उपचारित करने के संबंध में संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। गंगा नदी की सहायक नदी में गिर रहे नालों की डीपीआर बनाने, सर्वेक्षण कार्य हेतु रु0 45.00 लाख की धन की मांग की गयी है। धन प्राप्त होते ही सीवेज/नालो के ट्रीट मेन्ट की कार्यवाही की जायेगी। रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक-2)

3- पलड पलेन जोन के निर्धारण और तत्पश्चात् उसे खाली कराने की कार्यवाही के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता जल विज्ञान मण्डल बहादुराबाद ने कार्यालय पत्रांक-667/ज0वि0म0/बा0मै0परि0 दिनांक 27.05.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि फेज-IV के अन्तर्गत बाढ मैदान परिक्षेत्रण कार्य हेतु सोनाली नदी सहित कुल 13-नदियो जिसकी कुल लम्बाई 847.40 कि0मी0 हैं को चयनित कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही माह मार्च 2023 में पूर्ण कर ली गयी है, तथा संबंधित नदियो पर सर्वे आदि की कार्यवाही गतिमान हैं। फेज-IV के अन्तर्गत बाढ मैदान परिक्षेत्रण संबंधित कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सोनाली नदी सहित समस्त नदियो की अधिसूचना संबंधित कार्यवाही माह अगस्त-2025 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है। रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक-3)

अतः आख्या अतिरिक्त प्रत्युत्तर तैयार करने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

12
(धीराज सिंह गर्बाल)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सदस्य सचिव महोदय मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

—
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुसूक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट-कनखल
हरिद्वार-249408



Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 832 / 1/291-1/36 date 8/5/2023 Through - Email/Post (Reg.)

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
निर्माण मण्डल (गंगा),
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
हरिद्वार।
ई-मेल gmgangahw@gmail.com

विषय :- धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस इकाई के कार्यालय पत्रांक 2071/लेखा-01/94 दिनांक 22.12.2022 एवं 2088/लेखा-01/97 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा सर्वेक्षण कार्यों हेतु रु० 45.00 लाख की मांग की गयी थी, के परिपेक्ष्य में आपके कार्यालय पत्रांक 3024/लेखा-01/115 दिनांक 26.12.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा कार्यक्रम निदेशक, एस०पी०एम०जी०, देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त धन की मांग के सापेक्ष इकाई को आतिथि तक उक्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि रु० 45.00 लाख इकाई को शीघ्र अति शीघ्र अवमुक्त कराने का कष्ट करेंगे, जिससे कि उक्त कार्यों को ससमय सम्पादित कराया जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

Om
08/05/23

(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (अप्रै०/नियो०), प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

(ई-मेल gmplanninghq@gmail.com)

Om
08/05/23

परियोजना प्रबन्धक

कार्यालय महाप्रबन्धक
निर्माण ङल (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
जगजीत पोस्ट-कनखल
हरिद्वार- 2408

क्रमांक... 99
पंजिका... 127
पंजिकृत...
दिनांक... 26/12/22

Office of General Manager
Construction Circle (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam
Jagjeetpur, Post-Kankhal
Haridwar- 249408

Email: gmgangahw@gmail.com

Letter No

3024

लेखा-1

115

date 26/12/22 Through - Email/Post

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
एस०पी०एम०जी०,
117, इन्दिरा नगर,
देहरादून।
E-mail :- spmgngrba.utk01@gmail.com

विषय :-

के०एफ०डब्ल्यू० जर्मन बैंक वित्त पोषित परियोजना "Environmentally Friendly Urban Development Programme in Ganga Basin States" के अन्तर्गत नगर निगम, हरिद्वार एवं ऋषिकेश समीपवर्ती क्षेत्रों (सेटेलाईट टाऊन) को परियोजना में सम्मिलित न होने के कारण सर्वेक्षण हेतु धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक गण्डलान्तर्गत कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार/ऋषिकेश शाखा के समीपवर्ती क्षेत्रों (सेटेलाईट टाऊन) को परियोजना में सम्मिलित न होने के कारण जन प्रतिनिधियों की मांग पर हरिद्वार/ऋषिकेश में सर्वेक्षण कार्य एवं रुड़की नगर के सोलानी नदी (गंगा नदी की सहायक नदी) में गिर रहे नालों की डीपीआर बनाने, सर्वेक्षण कार्य कराये जाने अति आवश्यक है जिस हेतु धन की मांग निम्नानुसार की गयी है :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	सन्दर्भ	धनराशि (रु० लाख में)
1	परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार	कार्यालय पत्रांक 2071/लेखा-1/94 दिनांक 22.12.2022 (संलग्नक-1) कार्यालय पत्रांक 2088/लेखा-1/97 दिनांक 23.12.2022 (संलग्नक-2)	25.00 20.00
2	परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुसंधान इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश	कार्यालय पत्रांक 1899/A-9 (KFW) /134 दिनांक 20.12.2022 (संलग्नक-3)	13.50
	योग		58.50

अतः अनुरोध है कि हरिद्वार/ऋषिकेश शाखाओं के द्वारा की गयी मांग के सापेक्ष रु० 58.50 लाख सम्बन्धित शाखा को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे जिससे उक्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य ससमय प्रारम्भ कराया जा सके।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दीपक मलिक)
महाप्रबन्धक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपि:-परियोजना प्रबन्धक हरिद्वार/ऋषिकेश को सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक

0 प्रेषित.

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
रुड़की

पत्रांक:- 227 / उखगनरु / रा0अनु0 / एन0जी0टी0

दिनांक 12.04.2023

विषय:- N.G.T.Original Application No. 632/2022, V.K. Tyagi Versus State of
Uttarakhand के सम्बन्ध में रुड़की में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीगमत कर खेती करने व
पानी के बहाव को अवरुद्ध करने और पानी को प्रदूषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 228/पी0ए0/दिनांक 25.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2023 को अपरान्ह 11.00 बजे आपके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें इस खण्ड की ओर से श्री मुनेश कुमार शर्मा, उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुड़की उपस्थित हुए थे। आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 2 में उपरोक्त मौके पर 13 अतिक्रमणकारियों के नोटिस निर्गत कर 10 दिवस में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये थे। प्ररनगत प्रकरण की जाँच सहायक अभियन्ता-तृतीय रुड़की से करायी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं0 105/स0अ0-3/दिनांक 12.04.2023 के अनुसार जिलेदार रुड़की द्वारा 13 अतिक्रमणकारियों (जिनके द्वारा घारा इत्यादि फसल बोई गई थी) के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही कर दिनांक 11.04.2023 में विभाग द्वारा आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से कारत की गई घारे आदि की फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया है। मा0 न्यायालय N.G.T.के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। अवैध कारत से मुक्त करायी गई भूमि के फोटोग्राफस की छाया प्रति सलग्न है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।
04 किस्ते

भवदीय,

अधिशाली अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की।

पत्रांक:- 227 / उखगनरु / तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'गौरा देवी पर्यावरण' भवन 46वी, आई0टी0 पार्क सहस्रधारा रोड देहरादून-248001

3. जिलाधिकारी हरिद्वार।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की।

5. ज्वाइंट अभियन्ता-तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की को उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सन्दर्भ में।

6. उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुड़की।

अधिशाली अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुड़की।

पत्रांक 667/ज0वि0म0/बा0म0परि0

दिनांक:-27/05/2023

विषय- मूल आवेदन संख्या 0322/2022 वी0 के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-आपका पत्र संख्या 1381/मु0अ0ह0/कोर्ट केरा दिनांक 22.05.2023।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1, सिधौई विभाग, उत्तराखण्ड-हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक मा0 एन जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या 0322/2022 पारित आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य के अन्तर्गत अवस्थित विभिन्न नदियों का फेज वाइज बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का कराये जा रहे है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

निम्नानुसार है-

S.No	Name of River Reach	Name of River	Length in km	Current Status
Phase- I&II				
1	Bhagirathi Gangotri to Devprayag (excluding the reach from Gangotri to BadethiChungi)	Bhagirathi	133.35	Final notification has been issued of all reaches Final notifications has been issued except nearly 20 km length of right bank falling in Dehradun and Haridwar Districts
2	Bhilanganga River	Bhilanganga	68.00	
3	Mandakini (Kedarnath to Rudraprayag)	Mandakini	76.90	
4	Alaknanda Badrinath to Devprayag	Alaknanda	198.35	
5	Ganga Devprayag to Rishikesh	Ganga	138.00	
6	Rishikesh to Bhimgauda Barrage	Ganga		
	Total Length		614.60	
Phase -III				
1	Kosi- Near Kantali to State border of Uttarakhand	Kosi	Survey, Hydrological Studies, Hydraulic Modeling etc. Works have been completed and Field validation work is under progress.	
2	Gola- Near Ganrarto state border of Uttarakhand	Gola		
3	Song from Near Pasani Village Uptoconfluene with Ganga	Song		
4	Sushwa	Sushwa		

मा0 न्यायालय (एन0जी0टी0) द्वारा बिन्दु संख्या 04 एवं 05 याही गई आख्या के क्रम में अवगतनीय है कि फेज- IV के अन्तर्गत बाढ़ मैदान परिक्षेत्र कार्य हेतु सोनाली नदी सहित कुल 13-नदियों (जिसकी कुल लम्बाई 847.40 कि0मी0 है), को चयनित कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही माह मार्च 2023 में पूर्ण किया गया है तथा सम्बन्धित नदियों पर सर्वे आदि की कार्यवाही गतिमान है। फेज-IV के अन्तर्गत बाढ़ मैदान परिक्षेत्र सम्बन्धित कार्य पूर्ण करने के उपरान्त, सोनाली नदी सहित समस्त नदियों की अधिसूचना सम्बन्धित कार्यवाही माह अगस्त-2025 तक पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(रमेश चन्द्र गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

27.5.23

जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद को पत्र संख्या 438/ज0वि0ख0/बा0म0परि0/दिनांक 27.5.23 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

133

